न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 53/17 **निर्णय दिनांकः–13.07.2018**

1. रामकुमार व राजकुमार पुत्रगण लिखमाराम जाति जाट निवासी 24 एसडी सूरतगढ़ हाल आबाद 14 बीएसएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मेघाराम मेघवाल निवी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. गवरा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 54/18

1. लिखमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी चक 24 एसडी सूरतगढ़ हाल आबाद 14 बीएसएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अनिल कुमार पुत्र हंसराज जाति ओड़ राजपूत निवासी हाल मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर।
2. गुड्डी पत्नी हंसराज जाति ओड़ राजपूत हाल निवासी मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 13–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री हरीश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 13—06—2017 के विरूद्व जिसके द्वारा को गैरकानूनी तरीके से अपीलांट को पूर्व में आवंटित मोहरबन्द गजट की भूमि को बतौर भूमिहीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. **(a)** विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स को तहसील बज्जू के चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 की 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि व चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/62 की 25 बीघा भूमि मोहरबन्द गजट में वर्ष 2001 में आवंटित की गई थी। आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का पट्टा व कब्जा भी अपीलांट्स को प्रदान कर दिया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को आवंटित उक्त भूमि को किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा उक्त निरस्तीकरण आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट्स की अपील दिनांक 25—10—2013 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ

न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्यादेशानुसार प्रकरण में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

(b) इसप्रकार न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के रिमाण्ड आदेश पर कोई कार्यवाही किये बिना ही मोहरबन्द गजट की भूमि का आवंटन, आवंटन नियम 13(5)(सी) के तहत बतौर भूमिहीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किया गया हैं। जबकि वादगत् भूमि मोहरबन्द गजट में साया थी तथा जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में बतौर भूमिहीन नहीं किया जा सकता था।

(c) उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अन्य व्यक्ति अशोक कुमार गोड़ द्वारा दिनांक 11—06—2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वे वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144 / 54 व मुरब्बा नम्बर 144 / 62 की तस्दीक कराना चाहता है। अतः भूमि तस्दीक कराने के आदेश प्रदान करावें। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11—06—2017 पर संबंधित पटवारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 12—06—2017 को अर्थात एक दिन पश्चात् ही वादगत् भूमि के बाबत् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया कि वादगत् भूमि मौके पर आराजीराज दर्ज है तथा उक्त दोनों मुरब्बा नम्बर 144 / 54 व 144 / 62 में कोई स्थगन आदेश या मौके पर विवाद दर्ज नहीं है तथा ना ही नाजायज कब्जा काश्त दर्ज है। उक्त दोनों मुरब्बा नम्बर सामान्य आवंटन श्रेणी का रकबा है।

(d) अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर एक दिन पश्चात् अर्थात दिनांक 13—06—2017 को वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144 / 54 की भूमि जगदीश प्रसाद पुत्र मेघाराम मेघवाल व श्रीमती गवरीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद के नाम से व चक 14

बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/62 की भूमि अनिल कुमार पुत्र हंसराज व श्रीमती गुड्डीदेवी के नाम से राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(5)(सी) के तहत भूमिहीन आवंटन श्रेणी में आवंटित की गई है।

(e) विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जिस भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 को किया गया है, उक्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा किसी प्रकार कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत मातहत द्वारा किसी अन्य के प्रार्थना पत्र पर जोकि मात्र भूमि तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया गया था, पर रिपोर्ट प्राप्त करते हुए मात्र तीन कार्य दिवस अर्थात 11—06—2017 से 13—06—2017 के मध्य ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में अपीलांट्स को आवंटित भूमि थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एब ईनिशियों वाईड आदेश है।

(f) प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर मोहरबन्द गजट में आवंटित भूमि थी। जोकि किश्तों के अभाव में खारिज होने पर अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई थी। उक्त रिमाण्ड आदेश आज दिनांक तक जैरकार है तथा अदालत मातहत द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश की अवहेलना करते हुए व उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 को किया जाना स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना है। जब रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र ही भूमिहीन श्रेणी के तहत प्रस्तुत था तथा पूर्व में रेस्पोडेन्ट को बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया था।

(g) उक्त भूमिहीन आवंटन पर कमीपर्ति के तहत वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जबकि आवंटन नियमों में मोहरबन्द गजट की भूमि को कमीपूर्ति में आवंटित किये जाने का कोई प्रावधान निहित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को

आवंटन नियम 13(5)(सी) के तहत आवंटन का पात्र माना गया है जबकि आवंटन नियम 13(5)(सी) के तहत उसी भूमि का आवंटन किया जाता है जो समीपस्थ भूमि हो। अन्य भूमि का आवंटन उक्त नियम के तहत नहीं किया जा सकता है।

(h) उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलांट के रिमाण्ड आदेश के अनुसरण में बकाया राशि जमा करवाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन जो अपीलांट्स को पूर्व में किया जा चुका था, को बहाल किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के वादगत् भूमि जोकि मोहरबन्द गजट में प्रकाशित भूमि है तथा अपीलांट को आवंटित भूमि है, का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

(i) प्रकरण में पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् सही रिपोर्ट व तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। उक्त रिपोर्ट में संबधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज होना बताया गया है तथा वादगत् भूमि को सामान्य आवंटन श्रेणी का रकबा बताया गया है। पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के विपरीत व मौके की वर्तमान स्थिति के बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत करना साबित है क्योंकि वादगत् भूमि आराजीराज ना होकर अपीलांट को आवंटित भूमि है तथा वर्तमान में सामान्य श्रेणी की भूमि नहीं होकर मोहरबन्द गजट की भूमि होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन किये जाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य आदेश नहीं है।

(j) उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश के विपरीत जाकर व रिमाण्ड आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील

पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत कर समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर ना अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। जो स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना है।

(k) यदि अपीलांट को रिमाण्ड आदेशों के अनुसार में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट द्वारा तत्समय ही उक्त दस्तावेजात् अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष तमाम वस्तुस्थिति उभर कर सामने आ जाती व तत्सयम ही अदालत मातहत द्वारा जॉच करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाता। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट् को वादगत् भूमि का आवंटन करने के उद्वेश्य मात्र से एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(l) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के पूर्व आवंटन को दरकिनार करे हुए व रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण मं बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीढे आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

(m) जब यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर मोहरबन्द आवंटन थी तथा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—06—2017 निरस्त फरमाया जावे।

(n) उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. **(i)** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 की भूमि का आवंटन कमीपूर्ति में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(5)(सी) के तहत बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आंवटन से पूर्व संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त दोनों मुरब्बों पर कोई स्थगन आदेश या मौके पर विवाद दर्ज नहीं है तथा ना ही नाजायत कब्जा काश्त दर्ज है। इसी रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि सामान्य आवंटन श्रेणी का रकबा है।

(ii) अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को वादगत् भूमि का पात्र मानते हुए वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून की परिधि में व आवंटन नियमों के अनुसरण में किया गया आवंटन है।

(iii) उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2001 में किया गया था। रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि अदालत मातहत द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज की जा चुकी थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.

3 (38) उप/2000/पार्ट–4 दिनांक 21–01–2011 से उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकारों को आवंटित भूमि के विरूद्व बकाया किश्तों पर ब्याज पर छूट का प्रावधान किया है जिसमें मेाहरबन्द आवंटन भी शामिल है तथा मोहरबन्द आवंटन को बहाल किये जाने का भी प्रावधान किया जा चुका है। ब्याज राशि में छूट दिनांक 31–03–2013 तक राज्यादेश दिनांक 06–11–2012 से की गई है। अपीलांट द्वारा किश्तों की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(iv) अदालत मातहत द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई थी। जबकि उक्त परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र दिनांक 31–03–2013 तक प्रभावी था। जबकि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 25–10–2013 को रिमाण्ड की गई है। उक्त तिथि को परिपत्र क्रमांक प.3(38)उप/2000/पार्ट–4 दिनांक 21–01–2011 प्रभाव में ही नहीं था। ऐसी स्थिति में जिस परिपत्र का हवाला देकर अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई है उक्त परिपत्र उक्त दिवस को प्रभावहीन होने से उक्त रिमाण्ड आदेश का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है। जबकि आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मोहरबन्द गजट की भूमि को किश्तों के अभाव में बहाल किये जाने का कोई प्रावधान निहित नहीं है।

(v) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को वर्ष 2001 में किया गया था। उक्त तिथि को अपीलांट नाबालिग थे तथा वादगत् भूमि के आवंटन के पात्र नहीं थे। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्नू शिक्षण संस्थान श्री विजयनगर विद्यालय का ट्रांसफर सटिर्फिकेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट राजकुमार की जन्म तिथि 10–08–1989 दर्ज है। जबकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को वर्ष 2001 में किया गया है। इस प्रकार आवंटन दिनांक को अपीलांट राजकुमार मात्र 12 वर्ष का होना साबित है।

(vi) ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन कराया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसी प्रकार अपीलांट के नाम चक चक 5 आरएम, चक 1 जीएसएम, चक 6 एनडी, चक 22 जीबी में शामिलाती खाते में भूमि निहित रही है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमियों को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए व concealment of facts करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एब ईनिशियों वाईड आदेश होने से काबिल खारिज आदेश है।

(vii) उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अपीलांट के खारिजी आदेश को बहाल करने के बाबत् अदालत मातहत द्वारा विधिक राय भी प्राप्त की गई थी। जिसमें मुख्य विधि सहायक उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ–8(6)विधि/परी/विविध/09/बी–2228 दिनांक 31–01–2011 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 में मुहरबन्द बोली के निरस्त आवंटन को बहाल करने का प्रावधान नहीं है। चूंकि हस्तगत् प्रकरण में मुहरबन्द निलामी आवंटन का है अतः उक्त निरस्त आवंटन बहाल नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी का निर्णय दिनांक 23–06–2008 यथावत बहाल रखा जाता है।

(viii) इस प्रकार प्रकरण में विधिक राय से भी यह साबित है कि यदि मोहदबन्द गजट की भूमि किश्तों के अभाव में खारिज हो जाती है तो उसे पुनः बहाल करने के प्रावधान आवंटन नियमों में निहित नहीं है।

(ix) विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा एकतरफ तो वादगत् भूमि पुनः बहाल करने हेतु रिमाण्ड आदेश के अनुसरण में अभिकथन किया जा रहा है, दूसरी तरफ अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि पर अपने किसी प्रकार के हक व हकूक हासिल नहीं होते हुए भी वादगत् भूमि को जरिये ईकरारनामा सन्दीप चौहान पुत्र रणजीत सिंह जाति नाई निवासी भगतसिंह चौक, सूरतगढ़ को बेचान कर दिया गया है। जिसका कतई अधिकार अपीलांट को हासिल नहीं है।

इसप्रकार अपीलांट द्वारा अपने कथनों में विरोधाभासी कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है।

(x) चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि को जरिये ईकरारनामा बेचान किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट के रिमाण्ड आदेशों की पालना संभव नहीं है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का बेचान करते हुए आवंटन नियम 20 (य) में उल्लेखित शर्तो का उल्लंधन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि अपीलांट को मोहरबन्द गजट में आवंटित की गई थी जिसका आवंटन अपीलांट को नहीं किया जा सकता है, कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(xi) इसीप्रकार अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के बाबत् न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 25—10—2013 को अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई थी उक्त रिमाण्ड आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है, का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक प्राप्त होने से पूर्व ही वादगत् भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा किया जा चुका हैं अतः अपीलांट के आवंटन आवंटन शर्ता के उल्लंघन किये जाने के कारण बहाल नहीं किये जा सकते है।

(xii) उन्होंने आगे बताया कि जहॉ तब वादगत् भूमि के आवंटन का प्रश्न है, अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज होने व मौके पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होने एवं अन्य किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होन के उपरान्त ही आवंटन किया गया है। प्रकरण में प्रश्नगत् भूमि किश्तों के अभाव में खारिज हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट के वादगत् भूमि पर कोई हक व हकूक नहीं रह जाते है। अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक बहाल नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी

2012 पेज 374, आरआरडी 2010 पार्ट II पेज 13, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 12, आरएलडब्ल्यू 2006 पार्ट I पेज 379, आरआरडी 1990 पेज 591, आरआरडी 2009 पेज 543 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13—06—2017 को वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 की भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन कमीपर्ति में रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपीलें अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स को वर्ष 2001 में बतौर मोहरबन्द गजट में आवंटित की गई थी। अपीलांट्स का उक्त किश्तों के अभाव में खारिज होने पर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25—10—2013 को अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्यादेशानुसार प्रकरण में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। अदालत मातहत के समक्ष जब यह तथ्य साबित थे कि अपीलांट का प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में रिमाण्ड आदेश के जैरकार रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर भूमिहीन किया गया है जबकि उक्त भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट का आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है।

(3) इसी क्रम में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उन्हें वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट का आवंटन खारिज होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के कमीपूर्ति में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उक्त रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त दोनों मुरब्बों पर कोई स्थगन आदेश या मौके पर विवाद दर्ज नहीं है तथा ना ही नाजायत कब्जा काश्त दर्ज है। इसी रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि सामान्य आवंटन श्रेणी का रकबा है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को वादगत् भूमि का पात्र मानते हुए वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून की परिधि में व आवंटन नियमों के अनुसरण में किया गया आवंटन है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में सर्वप्रथम हम अपीलांट के आवंटन के संबंध में अपना मत व्यक्त करना उचित पाते है। अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2001 में बतौर मोहरबन्द श्रेणी में किया गया था। अपीलांट का उक्त आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किये जाने पर अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (38) उप /2000 / पार्ट– 4 दिनांक 21–01–2011 से उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकारों को आवंटित भूमि के विरूद्व बकाया किश्तों पर ब्याज पर छूट का प्रावधान किया है जिसमें मोहरबन्द आवंटन भी शामिल है तथा मोहरबन्द आवंटन को बहाल किये जाने का भी प्रावधान किया जा चुका है।

अतः उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई। **इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत परिपत्र का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस परिपत्र का हवाला देते हुए अपीलांट की अपील दिनांक 25–10–2013 को रिमाण्ड की गई थी वह परिपत्र दिनांक 31–03–2013 तक प्रभावी था।**

ऐसी स्थिति में रिमाण्ड आदेश की तिथि अर्थात दिनांक 25–10–2013 को परिपत्र कमांक प.3(38)उप / 2000 / पार्ट–4 दिनांक 21–01–2011 प्रभाव में ही नहीं था। लिहाजा जिस परिपत्र का हवाला देकर अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई है उक्त परिपत्र दिनांक 25–10–2013 को प्रभावहीन होने से उक्त रिमाण्ड आदेश का कोई औचित्य नहीं है।

इसी क्रम में हमने अदालत मातहत की आदेशिक दिनांक 27–06–2011 का भी अवलोकन किया। उक्त आदेशिका में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को बहाल किये जाने हेतु विधिक राय प्राप्त की गई थी।

जिसमें मुख्य विधि सहायक उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक एफ–8 (6) विधि / परी / विविध / 09 / बी–2228 दिनांक 31–01–2011 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 में मुहरबन्द बोली के निरस्त आवंटन को बहाल करने का प्रावधान नहीं है। चूंकि हस्तगत् प्रकरण में मुहरबन्द निलामी आवंटन का है, अतः उक्त मोहरबन्द बोली के निरस्त आवंटन बहाल नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी का निर्णय दिनांक 23–06–2008 यथावत बहाल रखा जाता है। इस प्रकार प्रकरण में विधिक राय से भी यह साबित है कि यदि मोहदबन्द गजट की भूमि किश्तों के अभाव में खारिज हो जाती है तो उसे पुनः बहाल करने के प्रावधान आवंटन नियमों में निहित नहीं है।

यह तथ्य विचारणीय है कि समान मामलें में समान स्तर के न्यायालय द्वारा एक बार प्रकरण (यथा पूर्व में दिनांक 18–12–2009 को) पुनर्विचार हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जा चुका था एवं तत्संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विभाग से स्पष्ट राय लेकर प्रकरण को दिनांक 27–06–2011 को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाकर आवंटन खारिज कर दिया गया था।

तत्पश्चात् उन्हीं आवंटियों द्वारा पुनः उसी अपील न्यायालय में अपील करके पुनः रिमाण्ड आदेश प्राप्त करना न्याय प्रकिया का

दुरूपयोग करते हुए विधि विरूद्व तरीके से उक्त रिमाण्ड आदेश प्राप्त किया जो कि रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित था। अपीलार्थी के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय हो चुका है अतः कोई उपचार शेष नहीं रहता है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन वादगत् भूमि के बाबत् रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में अपीलांट का प्रकरण जैरकार था का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हमारी राय में न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25–10–2013 आवंटन नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश प्रथम दृष्टया साबित है।

(5) प्रकरण में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य **यथा अन्नू शिक्षण संस्थान श्री विजयनगर विद्यालय का ट्रांसफर सटिर्फिकेट प्रस्तुत किया गया। उक्त ट्रांसफर सर्टिफिकेट में अपीलांट राजकुमार की जन्म तिथि 10–08–1989 दर्ज है।** प्रकरण में अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2001 में किया गया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि अपीलांट आवंटन दिनांक को **मात्र 12 वर्ष था।**

इसी प्रकार अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपीलांट के धारण की अन्यत्र भूमि का ब्यौरा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही भूमि निहित रही है जिसका खुलासा अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन के समय नहीं किया गया हैं इस प्रकार अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन स्पष्ट रूप से **concealment of facts** करते हुए कराया गया परिलक्षित होता है।

(6) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण व हास्यास्पद स्थिति तब सामने आई जब अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वरा वादगत् भूमि को जरिये ईकरारनामा बेचान किये जाने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

जिसके अवलोकन से यह स्थिति न्यायालय के समक्ष उभर कर सामने आई कि **अपीलांट द्वारा एक तरफ तो वादगत् भूमि जिसके रिमाण्ड आदेश के जैरकार होने की बात स्वयं अपीलांट द्वारा कही जाती रही है तथा अपने हक व हकूक उक्त रिमाण्ड आदेश के अनुसरण**

में साबित करना चाहते है। दूसरी तरफ अपीलांट द्वारा स्वयं वादगत् भूमि चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 को जरिये ईकरारनामा दिनांक 23–11–2017 को सन्दीप चौहान पुत्र रणजीतसिंह जाति नाई निवासी भगतसिंह चौक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को राशि 10,00,000/–(अक्षरे रूपये दस लाख मात्र) में बेचान किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में जब अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूकों को हासिल किये बिना ही जरिये ईकरारनामा बेचान किया जा चुका है तब अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन के पात्र है तथा वादगत् भूमि बतौर मोहरबन्द श्रेणी में आवंटनशुदा भूमि है, तथा रिमाण्ड आदेश अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है, का कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन से साबित है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन तथ्यों को छिपाते हुए व न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए करवाया गया है। जोकि पुष्टि योग्य आवंटन नहीं होने से व वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूकों को जरिये ईकरारनामा त्याग किये जाने के फलस्वरूप वादगत् भूमि पर अपीलांट के कोई अधिकार शेष नहीं रह जाने पर अपीलांट का आवंटन इसी स्तर पर खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

(7) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के आवंटन का प्रश्न है। इस संबंध में हमने रेस्पोडेन्ट के आवंटन पत्रावली का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट्स को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 13–05–2002 को व 21–01–2004 को बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया था। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कमीपूर्ति में आवंटन हेतु

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 13–06–2017 को किया गया है।

(8) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति सामने आई है कि अदालत मातहत के समक्ष दिनांक **11–06–2017 को अशोक गौड़ पुत्र जुगलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर द्वारा वादगत् भूमि**

चक 14 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 144/54 व मुरब्बा नम्बर 144/62 की भूमि तस्दीक किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 12–06–2017 को अर्थात एक दिन उपरान्त ही वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उक्त रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध बताते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज व अन्य किसी प्रकार के स्थगन से प्रभावित होना नहीं बताया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13–06–2017 को अर्थात रिपोर्ट प्राप्ति के एक दिन पश्चात् ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है।

जबकि प्रार्थी अशोक गौड़ का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही वादगत् भूमि पर उसके कोई हक व हकूक निहित है। अपीलांट्स का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आनन–फानन में की गई है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में समस्त प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादगत् भूमि को आराजीराज व भूमिहीन श्रेणी का बताया गया है। ऐसी स्थिति में अदाजत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार

पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया हैं। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से तो वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया जाना साबित है।

(9) **परन्तु** प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि **वादगत् भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। जिसका आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में नहीं किया जा सकता ना ही वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी।**

अदालत मातहत द्वारा भले ही आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया हो, परन्तु प्रकरण में जब यह तथ्य निर्विवाद है तथा दोनों पक्षकारों के अधिवक्तागणों द्वारा दौराने बहस यह स्वीकार किया गया है कि वादगत् भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन किसी भी परिस्थिति में बतौर भूमिहीन श्रेणी नहीं किया जा सकता था। **इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा किया आवंटन चाहे प्रक्रियात्मक रूप से सही हो परन्तु विधिक रूप से उक्त आवंटन की पुष्टि नहीं की जा सकती।**

(10) प्रकरण में जहॉ तक तरफ रेस्पोडेन्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि अपीलांट द्वारा जरिये ईकरारनामा बेचान किये जाने का कथन किया। इसी क्रम में अभिभाषक अपीलांट द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् मात्र एक माह के भीतर–भीतर ही वादगत् भूमि का बेचान अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है।

इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूकों को न्यायसंगत व न्यायोचित रूप से प्राप्त किये बिना ही बेचान किया गया है, जो विधिक दृष्टि से सही नहीं है। दोनों पक्षकारों द्वारा वादगत् भूमि के बेचान के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष अपने अपने आवंटन को सही ठहराने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग मात्र है। जिसे सराहा नहीं जा सकता।

–18–

इस प्रकार प्रकरण में दोनों पक्षकारों द्वारा दोतरफा लाभ उठाने व न्यायिक प्रक्रिया का बेजा फायदा उठाने का प्रयास उक्त अपील के माध्यम से किया जा रहा है। जिसे पक्षकारों के आवंटन को बहाल करते हुए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

(12) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उन्हें वादगत् भूमि कमीपूर्ति में आवंटित की गई थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज श्रेणी की भूमि रही है व किसी प्रकार का मोहरबन्द श्रेणी का नोट अंकित नहीं

रहा है। इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त आंवटन अधिक से अधिक अनियमित श्रेणी का माना जा सकता है क्योंकि आवंटन में आवंटी की कोई गलती नहीं है तथा विभागीय अधिकारियों की लापरवाही प्रतीत होती है। अतः उक्त गलती व लापरवाही का खामियाजा रेस्पोडेन्ट को नहीं मिलना चाहिए।

इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि की समस्त किश्तें भी जमा करवाकर वादगत् भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट को प्रदान की जा चुकी है ऐसी स्थिति उनका आवंटन बहाल रखना व नियमित किया जाना या अन्तर राशि के भुगतान पश्चात् नियमित किया जाना कानूनन उचित होगा।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि रेस्पोडेन्ट की आवंटन श्रेणी कमीपूर्ति में सामान्य श्रेणी की थी व उन्हें विधि विरूद्व रूप से या अनियमित रूप से उपखण्ड अधिकारी द्वारा मोहरबन्द श्रेणी का रकबा आवंटन कर दिया गया, किन्तु इस बाबत् यह रिपोर्ट किया जाना कि आवंटन के समय रकबा राजस्व रिकार्ड में किसी भी श्रेणी में दर्ज नहीं था – **पटवारीगण की घोर लापरवाही है।**

परिणाम स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन किया जाकर खातेदारी प्रदान की गई है। लिहाजा उक्त गलती आवंटी की और से प्रकट गलती नहीं है अपितु आवंटन अधिकारी की लापरवाही है जिसका दुष्परिणाम आवंटी को नहीं मिलना चाहिए।

अतः आवंटी स्वतन्त्र है कि वह अपना आवंटन नियमितिकरण/अन्यत्र आवंटन/उक्त किस्म श्रेणी को डीनोटिफाईड कराने हेतु सक्षम स्तर पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

उक्त विवेचन के हमारा मन्तव्य यह है कि आवंटी को अपील की विषय वस्तु, बहस व कानून तथा परिस्थितियों व दस्तावेजों के प्रकाश में यह न्यायालय किसी प्रकार का उपचार प्रदान करने में असमर्थ है व उक्त आवंटन को निरस्त करना उचित समझते है।

(11) इस प्रकार प्रस्तुत मामलें में यह स्थिति सामने आती है कि दोनों ही पक्षकारों द्वारा अपने अपने आवंटन को पुष्ट कराये बिना ही वादगत् भूमि का बेचान किये जाने के उपरान्त उक्त अपील के माध्यम से अपने आवंटन को सही ठहराने कराने जाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किये गये आवंटन जोकि अपने आप में दूषित व आवंटन नियमों के विपरीत किये गये आवंटन साबित है। **लिहाजा न्यायालय की दृष्टि से दोनों ही आवंटन खारिज योग्य होने से अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के आवंटनों को उक्त आदेश के माध्यम से खारिज किया जाता है।**

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज करते हुए अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट् दोनों के आवंटन खारिज किये जाते है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर